न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 41/2022

श्री दीन दयाल गोयल पुत्र मथुरा लाल गोयल निवासी 46 बी, श्रीपुरम कॉलोनी गुर्जर की थडी जयपुर राज0
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.11.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 18.2.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक 207 दिनाक 02.03.2022 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित करने पर उनके पत्र कमांक 1786 दिनांक 11.03.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 कृपया NH-11 A, गाँव, भुटिया, कोथून मोड़, पोस्ट— लुहारा, तहसील, निवाई, जिला टोंक — 304021, पर उपलब्ध सरकारी भूमि का विवरण प्रदान करें।

2 टोंक जिले में पिछले एक साल में कितने संगठनों को शिक्षा के उद्देश्य से भूमि आवंटित की गई है? कृपया संगठनों के नाम, आवंटित भूमि और उनके संपर्क नंबर के साथ सूची प्रदान करे?

3 टोंक जिले में पिछले एक साल में कितने संगठन, शिक्षा के उद्देश्य से भूमि आवंटन की प्रक्रिया में हैं? कृपया संगठनों के नाम, आवंटित भूमि और उनके संपर्क नंबर के साथ सूची प्रदान करे?

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक/तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 1079—80 दिनांक 29.09.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र कमांक 7006 दिनांक 7.10.2022 से अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा तीन बिन्दुओं पर सूचना चाही जा रही है। बिन्दु संख्या 1 तहसील[illegible] से संबंधित होने से उनके पत्र कमांक 1786 दिनांक 11.03.2022 से बिन्दु सख्यां 1 की [illegible] प्रथना पत्र अन्तरित किया गया है। शेष बिन्दुओं की सूचना [illegible] क्रमांक 1788—89 दिनांक 11.03.2022 से सूचित किया जा चुका है। तहसील[illegible] निवाई को पत्र कमांक 1098 दिनांक 10.10.2022 व 1526 दिनांक 31.10.2022 को प्रेषित कर बिन्दु संख्या 1 के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवा[illegible] हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट बिन्दु संख्या 1 की हद तक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:35 IST
Reason: SelfAttested